उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-15/2016/-सा-3-472 /दस-2016-930-83

लखनऊः दिनाँक 10 जून, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को पुनर्योजित किये जाने संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग में जब कभी प्राप्त होंगे, तब उन्हें निम्नानुसार निस्तारित किया जायेगा:-

(i) पुनर्योजन संबंधी समस्त प्रस्ताव वित्त विभाग में वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा प्रारम्भिक रूप से व्यवहृत किये जायेगें। पुनर्योजन का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं पाये जाने पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त का अनुमोदन प्राप्त कर पत्रावली प्रशासकीय विभाग को वापस कर दी जायेगी। जिन प्रस्तावों में पुनर्योजन के प्रस्ताव का औचित्य पाया जाता है, उनमें पुनर्योजन की शर्तें पत्रावली पर अंकित कर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा पत्रावलियॉ संबंधित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को भेज दी जायेंगी।

(ii) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग द्वारा निःसंवर्गीय पद के सृजन तथा पुनर्योजन के प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव, वित्त के आदेश प्राप्त कर पत्रावली प्रशासकीय विभाग को भेज दी जायेगी।

(iii) निःसंवर्गीय पद के सृजन तथा पुनर्योजन के प्रस्ताव पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्रशासकीय विभाग द्वारा प्राप्त कर लिये जाने के उपरान्त निर्गत किये जाने वाले विभागीय आदेश के आलेख पर सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग द्वारा सहमति अंकित की जायेगी। सहमति अंकित किये जाने के पूर्व, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग यथा आवश्यकता आलेख वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 को दिखला लेंगे।

इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-15/2016/-सा-3-472 (1)/दस-2016-930-83, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि:-

1- समस्त सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- वित्त विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव।
3- वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।
4- कार्मिक अनुभाग-2।

आज्ञा से

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in